

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

अनुदान सं०-14

तेरह अंको का कोड-2515008001005

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी/
आहरण वितरण अधिकारी,

फर्रुखाबाद, प्रयागराज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, उन्नाव, सीतापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, बलरामपुर,
बागपत तथा सम्भल।

संख्या 1/ 574 / 2020-1/03/2020 : लखनऊ: दिनांक ०५ मार्च, 2021

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत के अधिष्ठान मद में अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-1005-क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानान्तरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी पंचायत) के अन्तर्गत मानक मदों में व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

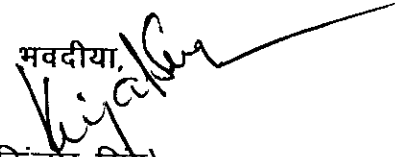
महोदय,

उपयुक्त विषयक प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-21/2020/881/33-3-2020-100(3)/2017 दिनांक 03.04.2020 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्षेत्र पंचायत के अधिष्ठान की मानक मदों में आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार रू०-3,57,63,136/- (रू० तीन करोड़ सत्तावन लाख तिरसठ हजार एक सौ छत्तीस मात्र) निम्न लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी०एल०ए०/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा, जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
7. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
8. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-4/2018/आर०जी०-1021/दस/2018- मित०-1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-1005-क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानान्तरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी पंचायत) अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
10. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

11. बी0एम0-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाक्यचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
12. यदि बी0एम0-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।
13. यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
14. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
15. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य-लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
16. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा ध्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे-
 1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 2. वर्ष 2020-21 में यदि कोई धनराशि अवशेष हो तो उसका समर्पण दिनांक 15.03.2021 तक निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-74 पर अंकित है।
संलग्नक उपरोक्तानुसार।

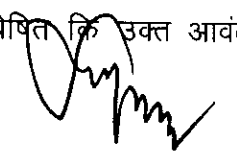
भवदीया,

 (किंजल सिंह)
 निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/574/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0, शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0-2, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


 (ब्रजेश कुमार)
 मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
 पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-04/03/2021

प्रेषण संख्या:- 1-574-2020-1-03-2020
आवंटन आदेश संख्या:- 011-01-03-2020

अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

800 - अन्य व्यय

10 -

05 - क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानांतरित स्टाफ(ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-महंगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	55-मकान किराया भत्ता	योग
1	फर्रुखाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	800000 21871148	400000 3981883	0 288810	0 990865	1200000 27132706
2	प्रयागराज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	0 80574210	3566650 17284259	0 579622	0 4347166	3566650 102785257
3	मिर्जापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1500000 31282511	0 9771209	0 245048	0 1837858	1500000 43136626
4	गाजीपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2159594 61950064	227960 10392333	0 390377	0 2927831	2387554 75660605
5	बलिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2281559 49953310	387992 8304960	41493 955271	0 2660329	2711044 61873870
6	उन्नाव-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	473380 48995122	0 8184089	0 358634	0 2689753	473380 60227598
7	सीतापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2000000 58850848	2350000 12018644	0 865508	0 2853814	4350000 74588814
8	प्रतापगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	6493910 43401085	676964 6951184	0 369072	25960 2793998	7196834 53515339
9	बाराबंकी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	7258054 48194556	942169 8347326	0 288504	0 2163779	8200223 58994165
10	बलरामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	893200 26594345	160144 4475805	0 306230	32440 1409359	1085784 32785739
11	बागपत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1652756 17841994	565762 3815188	0 101837	0 763776	2218518 22522795
12	सम्बल-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	798635 22939033	74514 3852648	0 145870	0 1094029	873149 28031580
	योग	वर्तमान प्रगामी	26311088 512448226	9352155 97379528	41493 4894783	58400 26532557	35763136 641255094

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ सत्तावन लाख तिरेसठ हजार एक सौ छत्तीस

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौसठ करोड़ बारह लाख पचपन हजार चौरानवे

(बृजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी